



कार्यालय प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर

Email-govtlawcollegedholpur117@gmail.com Mob.No.9414339011



महाकाली मंदिर के पास सैपऊ रोड धौलपुर

क्रमांक: जी.एल.सी.डी./स्था/2023/

दिनांक- 4/12/2023

प्रवेश अधिसूचना एलएल.एम.

विधि एलएल.एम प्रथम वर्ष सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से (off-line) निम्नलिखित शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्तें-

1. विधि स्नातक एलएल.बी. (तीन वर्षीय) एवं बी.ए.एलएल.बी स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र हैं।
2. प्रवेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर/डॉ.अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर/बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अधीन होगा।

प्रवेश कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

विवरण	दिनांक	समय
अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना प्रारम्भ	14/10/2023	10.00 बजे से 2.00 बजे तक
अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	12/12/2023	दोपहर 2.00 बजे तक
अस्थायी प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की वरीयतानुसार सूची का प्रकाशन	15/12/2023	दोपहर 2.00 बजे बाद
अस्थायी प्रवेश हेतु वरीयतासूची पर आपत्तियाँ दर्ज कराने की तिथि	16/12/2023	दोपहर 2.00 बजे तक
अस्थायी प्रवेश हेतु अन्तिम वरीयता सूची मय प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	16/12/2023	दोपहर 2.00 बाद
अस्थायी प्रवेश हेतु वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की तिथियाँ	18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	
रिक्त स्थानों पर प्रतीक्षा सूची के अस्थायी प्रवेश	
अस्थायी अंतरिम प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	22/12/2023	दोपहर 2.00 बजे बाद
कक्षा प्रारम्भ	23/12/2023	समय सारणी अनुसार

नोट :-

1. प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु <https://hte.rajasthan.gov.in/college/glcdholpur> की लिंक पर जाकर एलएल.एम. का प्रवेश फार्म Download करें।
2. पूर्ण रूप से भरे हुए अस्थायी आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :-
 1. 10वीं की अंकतालिका
 2. 12वीं की अंकतालिका
 3. विधि स्नातक एलएल.बी. (तीन वर्षीय) / बी.ए.एलएल.बी स्नातक (सभी वर्षों की) अंकतालिकाएँ
 4. जाति प्रमाण पत्र (जहा लागू हो)/नवीन OBC/EWS/MBC के प्रमाण पत्र हेतु में ई-मित्र पर किये गये आवेदन पत्र की रसीद मान्य नहीं होगी।
 5. OBC/EWS/MBC का नवीन जाति प्रमाण पत्र फार्म जमा करने की अंतिम तिथि तक ही स्वीकार होगा।
 6. SC/ST का जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा।
 7. मूल दस्तावेजों के वेरीफिकेशन हेतु विद्यार्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है न होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।


संयोजक
प्रवेश प्रभारी


(डॉ० आर.सी. मीना)
प्राचार्य